न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय जिला अजमेर

(पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार झिंगोनियां)

आर.ए.एस.

प्रकरण सं./राजस्व वाद/40/2020 जी0सी0एम0एस0 नं0 2020/00046

1. कैलाश पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी बनेडियां तहसील भिनाय जिला अजमेर(मृतक)
2. अलोली पत्नि रामा जाति बैरवा निवासी बनेडियां तहसील भिनाय जिला अजमेर(मृतक)

2/1. चान्दी देवी पुत्री रामा जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

2/2. गुलाबी देवी पत्नि कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

2/3. ओमप्रकाश पुत्र कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

2/4. राहुल नाबालिक पुत्र कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

2/5. संजय नाबालिक पुत्र कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

2/6. कोमल नाबालिक पुत्री कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां तहसील भिनाय जिला अजमेर

(वादी)

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये श्रीमान तहसीलदार भिनाय जिला अजमेर

(प्रतिवादीगण)

निर्णय अन्तर्गत धारा 88, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम -

उपस्थितः— 1. वकील वादी श्री धर्मवीर बामनियां
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 06.05.2025

वादी ने इस वाद प्रत्र में सारांक्षतः निवेदन किया है कि ग्राम बनेड़ियां पटवार हल्का हियालियां, भू.अ.नि. क्षेत्र एकलसिंगा तहसील भिनाय स्थित आराजीयात जमाबंदी संवत् 2071—2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं. 70 में दर्ज खसरा संख्या 1110 रकबा 0.54, खसरा संख्या 1111 रकबा 0.55, खसरा संख्या 1117 रकबा 0.04, खसरा संख्या 1118 रकबा 0.03, खसरा संख्या 1140 रकबा 0.57, खसरा संख्या 1144 रकबा 0.20, खसरा संख्या 1145 रकबा 0.19 और खसरा संख्या 1150 रकबा 0.01 कुल किता—08 कुल रकबा 2.13 हैक्ट0 भूमि वादीगणों की पुश्तैनी विरासत से प्राप्त आराजीयात है। वादीगण को उक्त आराजीयात श्री रामा पुत्र श्री पन्ना जाति बैरवा की मृत्यु उपरान्त प्राप्त हुए है। विरासत के नामान्तरण संख्या 139 में वादीयां संख्या 02 का नाम अलोली पत्नि श्री रामा जाति बैरवा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय सही किया गया है। परन्तु हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीयां संख्या 02 का नाम अलोल पत्नि रामा जाति बैरवा निवासी बनेडियां के स्थान पर अलोली पत्नि धीसा जाति बैरवा निवासी बनेड़ियां दर्ज कर दिया गया है। जो कि गलत है। जिसके स्थान पर अलोली पत्नि

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

रामा जाति बैरवा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय जो कि सही है। दर्ज किया जावे। साथ ही वाद वर्णित आराजीयात वादी संख्या 01 मृतक कैलाश को जरिये विरासत प्राप्त हुई है। वादी संख्या 01 मृतक कैलाश पुत्र रामा का बचपन का घर का प्यार/दुलार का नाम पप्पू था, इस कारण से वादी के पक्ष में विरासत का नामान्तरण दर्ज करते समय पप्पू पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी बनेड़िया तहसील भिनाय जिला अजमेर दर्ज कर दिया गया। जबकि मृतक वादी संख्या 01 का वास्तविक व सही नाम कैलाश पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी बनेड़िया है।

प्रकरण दर्ज कर प्रतिवादी संख्या 01 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय को जरिये नोटिस जवाब बाबत् तलब किया गया। वकील वादी द्वारा पत्रावली बतौर वादी दर्ज पक्षकार श्रीमति अलोली तथा श्री कैलाश के फौत हो जाने से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 03 जाप्ता दिवानी सपठित धारा 151 जाप्ता दिवानी पेश कर फौत हो चुके वादीगणों के नाम के आगे मृतक शब्द अंकित कर उनके विधिक वारिसान को रिकॉर्ड पर लेने बाबत् निवेदन किया। उक्त प्रार्थना–पत्र पर पैरोकार सरकार द्वारा अपनी अनापत्ति प्रकट करने से वादी अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर पत्रावली में संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। प्रतिवादी सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय द्वारा प्रकरण में जवाब सरकार पेश किया गया। जिसकी एक प्रति वकील वादी को दिलवायी जाकर शामिल पत्रावली किया गया। तत् पश्चात पत्रावली में तनकीयात कायम की जाकर, पत्रावली वादी साक्ष्य नियत की गई। वादीगणों द्वारा श्रीमति गुलाबी देवी पत्नि कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़िया तथा एक स्वतंत्र गवाह हीरा पुत्र भागीरथ जाति बैरवा निवासी बनेड़िया का शपथ–पत्र पेश किया गया। वकील वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने बाबत् निवेदन किया गया। वादी साक्ष्य बन्द किये, जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य जिरह नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा वादी साक्ष्य जिरह नहीं की गई।

तहसीलदार भिनाय से प्रतिवाद–पत्र प्राप्त होने पर प्रकरण में तीन तनकीयात कायम कर शहादत पक्षकारान तलब की गईः–

वादीगणों द्वारा श्रीमति गुलाबी देवी पत्नि कैलाश जाति बैरवा निवासी बनेड़िया तथा एक स्वतंत्र गवाह हीरा पुत्र भागीरथ जाति बैरवा निवासी बनेड़िया का शपथ–पत्र पेश किया गया। वकील वादी द्वारा अन्य कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने बाबत् निवेदन किया गया। वादी साक्ष्य बन्द किये, जाकर पत्रावली वास्ते साक्ष्य जिरह नियत की गई। पैरोकार सरकार द्वारा वादी साक्ष्य जिरह नहीं की गई। पैरोकार सरकार द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने के कारण पत्रावली वास्ते बहस नियम की गई।

मेरे द्वारा पत्रावली का सम्पूर्ण अवलोकन किया तो पाया गया कि ग्राम बनेडियां जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 70, नामान्तरण संख्या 139 ग्राम पंचायत हियालियां, वर्किंग जमाबन्दी ग्राम बनेड़ियां, ग्राम बनेडियां जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 90, ग्राम बनेडियां जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 150, ग्राम बनेडियां जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 202, ग्राम बनेडियां जमाबन्दी संवत् 2071–74 के खाता संख्या 159, सरपंच ग्राम पंचायत एकलसिंगा द्वारा जारी प्रमाण–पत्र, मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068, शाखा बिजयनगर द्वारा श्री कैलाश व श्रीमति अलोली को जारी पासबुक, भामाशाह कार्ड, श्रीमति अलोली का पहचात–पत्र, श्रीमति अलोली का आधार कार्ड, श्री कैलाश का राशन कार्ड, श्री कैलाश का पहचात–पत्र, श्री कैलाश का आधार कार्ड और परिवार का जॉब कार्ड का प्रकरण में

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

अध्ययन करने पर इसमें कायम तनकियात को निम्न प्रकार निर्णित किया जाता तय पाया जाता है।

तनकी संख्या 01 आया वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगण के पिता का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित है जिसे वादीगण दुरूस्त करवाने के अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रहा है। इसे सिद्ध करने बाबत् वकील वादी ने तर्क दिये कि–वाद वर्णित उक्त आराजीयात में स्व0 श्री रामा पुत्र पन्ना जाति बैरवा निवासी बनेडियां की मृत्यु उपरान्त विरासत के नामान्तरण संख्या 139 में स्व0 रामा की बैवा का नाम अलोली पत्नि श्री रामा जाति बैरवा सही दर्ज किया गया था। जिसकी पुष्टि पत्रावली में संलगन ग्राम हियालियां के नामान्तरण संख्या 139 से होती है। साथ ही ग्राम बनेडियां की अन्य राजस्व जमाबन्दीयां संवत् 2071–74 खाता संख्या 90, खाता संख्या 150, खाता संख्या 202, खाता संख्या 159 में प्रार्थीगणों के पिता का नाम कैलाश पुत्र रामा, प्रार्थीगणों की दादी का नाम अलोली पत्नि रामा जाति बैरवा साकिन देह खातेदार अंकित है, जो सही है। परन्तु वाद वर्णित आराजी ग्राम बनेड़िया की वर्तमान जमाबन्दी संवत् 2071–74 में प्रार्थीगणों के पिता का नाम नाबालिग पप्पू पुत्र रामा, प्रार्थीगणों की दादी का नाम अलोली पत्नि घीसा जाति बैरवा साकिन देह खातेदार अंकित है, जो की गलत है। सरपंच ग्राम पंचायत एकलसिंघा के प्रमाण–पत्र से भी इसकी पुष्टि होती है। कि पप्पु उर्फ कैलाश पुत्र रामा जाति बैरवा निवासी बनेडिया तहसील भिनाय का मूल निवासी है। जिसे पप्पु और कैलाश दोनो नामों से पुकारा जाता है। इस नाम का अन्य कोई व्यक्ति नहीं है। स्टैट बैंक शाखा बिजयनगर द्वारा श्री कैलाश व श्रीमति अलोली को जारी पासबुक, भामाशाह कार्ड, श्रीमति अलोली का पहचात–पत्र, श्रीमति अलोली का आधार कार्ड, श्री कैलाश का राशन कार्ड, श्री कैलाश का पहचात–पत्र, श्री कैलाश का आधार कार्ड और परिवार का जॉब कार्ड वादीगणों के पिता का नाम कैलाश पुत्र रामा तथा दादी का नाम अलोली पत्नि रामा अंकित है जो सही है। इसी के साथ एक स्वतंत्र गवाह श्री हीरा पुत्र भागीरथ जाति बैरवा निवासी बनेडियां द्वारा उक्त संबंध में अपना शपथ–पत्र पत्रावली में पेश किया गया है। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 02 आया वादीगण विवादित आराजी पुश्तैनी आराजीयात होने के कारण खातेदार काश्तकार घोषित होने के अधिकारी है?

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पक्ष पर रहा है इसे सिद्ध करने बाबत् वकील वादी ने तर्क दिये कि–वाद वर्णित आराजीयात के साबिक ख0सं. 1081/1, 1081/2, 1099, 1104/1, 1104/2, 1104/3 और 1108 थे। जो पत्रावली में उपलब्ध मिलान क्षेत्रफल संवत् 2049 से 2068 से स्पष्ट है। उक्त साबिक खसरा संख्या स्व0 कैलाश के पिता तथा स्व श्रीमति अलोली के पति रामा पुत्र पन्ना जाति चमार(बैरवा) के नाम अंकित थी। जो रामा पुत्र पन्ना के फौत होने के उपरान्त जरिये विरासती नामान्तरण संख्या 139 से स्व0 कैलाश पुत्र रामा तथा स्व. श्रीमति अलोली पत्नि रामा के नाम अंकित हुई। अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

तनकी संख्या 03 आया वादीगण द्वारा वाद पत्र की पुष्टि हेतु गत राजस्व रिकॉर्ड की प्रतियां व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं की है अतः लेखनीय त्रुटि न होने से वाद निरस्त योग्य है?

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पक्ष पर रहा है इसे सिद्ध करने बाबत् प्रतिवादी द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है साथ ही वादीगणों द्वारा अपने वाद को साबित करने के लिए पत्रावली में संबधित नामान्तरण, राजस्व जमाबन्दीयां, मिलान क्षेत्रफल, ग्राम पंचायत प्रमाण–पत्र तथा अन्य दस्तावेज प्रस्तुत किये गये है। अतः अतः यह तनकी बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी निर्णित की जाती है।

अनुतोष ?

प्रकरण में कायम तनकीयात के निर्णय पर यह पाया गया है कि वाद वर्णित आराजीयात वादीगणों की पुश्तैनी आराजीयात है। वाद वर्णित आराजीयात के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीगणों के पिता/पति और दादी का नाम गलत अकिंत किया गया है। जिसको सही करवाने के वादीगण अधिकारी है।

–:आदेशः–

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार भिनाय को यह आदेश दिये जाते है कि मौजा ग्राम बनेडियां पटवार हल्का हियालियां, भू.अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र एकलसिंघा तहसील भिनाय की वर्तमान जमाबंदी संवत् 2071–2074 जमाबंदी 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के **खाता संख्या 70 में दर्ज खसरा नम्बरान** में सहखातेदार के रूप में दर्ज खातेदार **अलोली पत्नि घीसा** के स्थान पर **अलोली पत्नि रामा** तथा **नाबालिग पप्पू पुत्र रामा संरक्षक सरपरस्त माता** के स्थान पर **कैलाश पुत्र रामा** दुरूस्त किया जावे। **शेष इन्द्राज बदस्तुर रहें।** तहसीलदार भिनाय द्वारा राजस्व अभिलेख में नियमानुसार अमल दरामद की कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। खर्चा पक्षकारान् स्वयं अपना–अपना वहन करेगें।

निर्णय आज दिनांक 06.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुनील कुमार झिंगोनिया)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, अजमेर

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (अजमेर)

CamScanner